'कुछ लोग चाहते थे कि स्पीकर सर्वसम्मति से नहीं चुना जाकर चुनाव करवाया जाए'

'लेकिन जब भाजपा से वासुदेव देवनानी का नाम सामने आया तो हमने अपना मन बदल लिया'

- देवनानी के निर्वाचन के बाद बधाई देते हुए सचिन पायलट ने किया चौंकाने वाला खुलासा।
- विधानसभा के बाहर मीडिया से वार्ता करते हुए पायलट ने विपक्षी सांसदों के निलम्बन के लिए केन्द्र सरकार की निंदा की व कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।

जयपुर, 21 दिसम्बर (का.प्र.)। भाजपा यदि वासुदेव देवनानी के अलावा अन्य नेता का नाम अध्यक्ष पद के लिए लाती, तो क्या इस बार विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से नहीं होता। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद सचिन पायलट ने वासुदेव देवनानी को बधाई देते हुए इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हममें से कुछ लोग चाहते थे कि स्पीकर सर्वसम्मति से नहीं चुना जाकर चुनाव करवाया जाए, लेकिन जब स्पीकर के पद के लिए भाजपा से वासुदेव देवनानी का नाम सामने आया, तो हमने अपना मन बदल लिया।

सचिन पायलट ने वासुदेव देवनानी को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं आपको इस पद पर आसीन होने के लिए बधाई देना चाहता हूं। सदन में परंपरा रही है कि सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव हो, लेकिन इस बार जिस गर्म माहौल में विधानसभा चुनाव हुए। उसके बाद जब स्पीकर के चुनाव की बात आई ,तो हममें से कुछ लोगों ने सोचा कि इस बार स्पीकर का चुनाव होगा। लेकिन फिर जब समाचार पत्रों से पता चला कि आपका नाम सामने आ सकता है। तब हम सबने मन बनाया कि अगर वासुदेव देवनानी स्पीकर बनते हैं तो चुनाव सर्वसम्मति से होगा, क्योंकि आप सदन में बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे हैं।

पायलट ने कहा कि हमने आपको पक्ष और विपक्ष में काम करते हुए देखा है। सदन में बातों को रखते देखा। आपका लंबा अनुभव रहा है, जो परिपाटी बनी हुई है, उसकी पालना पूरी तरह से करेंगे। मैं और मेरी पार्टी उम्मीद करते हैं कि आपका हर निर्णय आपकी हर रूलिंग न्यायपूर्वक होगी। अब आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। इस बड़े पद पर बैठकर आप इसको और गौरवशाली बनाएंगे, यह उम्मीद हम करते हैं। समय का आवंटन हो या रूलिंग हो। उसमें पूरी हमदर्दी के साथ हम सब विपक्ष के लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे।

सदन से बाहर मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने संसद से विपक्ष के सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कहा कि संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार इतने सारे सांसदों को निलंबित किया गया। यह गलत है, केंद्र सरकार संसद को विपक्ष से मुक्त करना चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं है।

विपक्ष जब अपनी बात रखना चाहता है तो थोक के भाव सांसदों को निलंबित किया जाता है। यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सांसदों को निलंबित करना एक गलत परंपरा को स्थापित करना है।

उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने के मामले में भाजपा विधायकों द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का पुतला फूंकने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा, पहले भाजपा जवाब दे कि आखिर क्यों सांसदों की आवाज को दबाया जा रहा है। आम जनता से जुड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है।

24 जनवरी से देश भर में रामलला दर्शन अभियान

- भाजपा ने कहा कि, इस अभियान क तहत 50 करोड़ राम भक्तों का अयोध्या में रामलला का निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा।

समस्तीपुर, 21दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी देशभर मे 24 जनवरी से रामलला दर्शन अभियान की शुरूआत करेगी,जिसके तहत 50 करोड़ रामभक्तों को अयोध्या नगरी स्थित रामलला का निःशुल्क दर्शन कराया जायेगा।भाजपा के प्रदेश महामंत्री जठानाथ ठाकुर ने गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि, रामलला दर्शन अभियान आगामी 24 जनवरी से 24 मार्च तक बिहार समेत देशभर मे चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि, इस अभियान के तहत बिहार से भी 2 75 रेलवे स्टेशनों से अयोध्या के लिए रामलला विशेष ट्रेन चलाई जायेगी। स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बिहार के 2 करोड़ से अधिक रामभक्तों को भी अयोध्या ले जाया जायेगा जहां भव्य राममंदिर का निःशुल्क दर्शन कराया जायेगा। रामभक्तों को अयोध्या ले जाने के लिए उनके ठहरने एवं अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

क्या यू.पी. में बसपा के साथ गठबंधन की तैयारी में है कांग्रेस

यू.पी. के राजनैतिक हल्कों में गुप चुप चर्चा चल रही है

- समाजवादी पार्टी इन चर्चाओं को लेकर सतर्कता बरत रही है। क्योंकि सपा को जो फीडबैक मिला है कि, उसके अनुसार सपा भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की इच्छुक है।
- इंडिया गठबंधन की बैठक में हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा नेताओं को भरोसा दिलाया था कि कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी।

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नये समीकरण बनने के प्रयासों के बीच एक बार फिर उथल-पुथल शुरु हो गई।

अभी हाल ही में सम्पन्न हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद, माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के नेताओं से पूछा है कि क्या वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों के मामले में एक अलग गठबंधन बनाने के लिए बसपा के साथ चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विपक्षी गठबंधन के एक साझीदार के रूप में बसपा को शामिल करने का सख्त विरोध किया है।

सैद्धांतिक तौर पर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वर्ष 2024 का आम चुनाव सीटों के बंटवारे के आधार पर मिलकर चुनाव लड़ने को सहमत हो गई हैं, जबकि इस मामले में बसपा प्रमुख ने गत सितम्बर में बयान दिया था कि उनकी पार्टी आगामी आम चुनाव अकेले ही अपने दम पर लड़ेगी और भाजपा व इंडिया गठबंधन दोनों का विरोध करेगी। इंडिया के प्लेटफार्म पर बसपा को शामिल करने के खिलाफ समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार विरोध दर्ज करने के बाद, मायावती ने समाजवादी पार्टी की टिप्पणी पर हमला बोलते हुए कहा कि "उनकी टिप्पणियां अनुचित हैं।" मायावती ने यह भी कहा कि "सार्वजनिक जीवन में, किसी को पता नहीं होता कि कब किस पार्टी की जरूरत पड़ जाए, जनता के हित में," उन्होंने इस बात को पुनः दोहराया कि बसपा अकेली समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों से लड़ेगी।

बसपा की राजनीतिक ताकत कम हो गई है। वर्ष 2019 में पार्टी के वोटों का शेयर 19 प्रतिशत था जो अब घट गया है। गत वर्ष हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बसपा का वोट मात्र लगभग 13 प्रतिशत रह गया। पूर्व की भांति, मध्य प्रदेश व राजस्थान में हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों में बसपा का चुनाव उम्मीद से भी बहुत कम रहा है।

इतना ही नही, कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का पुनरुत्थान करना चाहती है। वह स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश में बसपा को एक संभावित भागीदार के रूप में देख रही है और दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच गुपचुप वार्ता चल रही है। इस स्थिति ने सपा को सतर्क कर दिया है, इसी के चलते व राजनैतिक फीडबैक के चलते वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में रूचि दिखा रही है। अखिलेश यादव ने आम बुद्धिजीवियों की एक बैठक हाल ही में लखनऊ में बुलाई थी जिसमें मुस्लिम मौलवी भी थे उसमें जो खास विचार व्यक्त किया गया वह यह था कि सपा वर्ष 2024 का चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके जीतेगी और वह मुस्लिम मतों का बंटवारा रोकने के लिए कांग्रेस के साथ समझौता करेगी।

इस क्रम में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सपा के नेताओं को इंडिया गठबंधन की बैठक में भरोसा दिया है कि उनकी पार्टी बसपा से कोई वार्ता नहीं कर रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आर.एल.डी. से भी बात नहीं कर रही है। इस बात के कयास जोर-शोर से लाए जा रहे हैं कि इस तरह की योजना अभी परिपक्व नहीं हुई है। कांग्रेस में एक धड़े का मानना है कि चुनाव से पूर्व बसपा के साथ किया गया गठबंधन पार्टी की दीर्घावधि की नीति के हिसाब से फायदेमंद है विशेष रूप से एक पुरानी पार्टी के बतौर जो जाति आधारित प्रश्न पर नया ध्यान केन्द्रित कर रही है।

वासुदेव देवनानी सर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने रखा और चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने समर्थन किया। पांचवां प्रस्ताव (राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी) आर.एल.पी. विधायक हनुमान बेनीवाल ने रखा, जिसका राष्ट्रीय लोकदल (आर.एल.डी.) विधायक सुभाष गर्ग ने समर्थन किया। विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचन और आसन संभालने के बाद वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैं एक शिक्षक रहा हूं। शिक्षक जब कॉपी जांचता है, तो यह नहीं देखता कि किस विद्यार्थी की कॉपी है। उसमें क्या लिखा। निष्पक्षता का भाव टीचर के स्वभाव में रहता है। चाहे किसी दल के विधायक हों। पद की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन देता हूं। उन्होंने कहा कि नए विधायक अध्ययन की आदत डालें। नियम प्रक्रियाओं को पढ़ें। इसके साथ ही सदन में कार्यवाही में सक्रिय हिस्सा लेना चाहिए। सदन को अधिक दिन चलाने का प्रयास किया जाएगा। सदन में सार्थक बहस हो इसके प्रयास किए जाएंगे। हम सबको सदन के नियमों-परंपराओं का पालन करना होगा। इससे पहले अपने निर्वाचन पर सभी का आभार जताते हुए वासुदेव देवनानी ने कहा कि आपकी भावनाओं का आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने सभी को 16वीं विधानसभा का सदस्य बनने पर बहुत बधाई दी। अपने निर्विरोध निर्वाचन की जो परंपरा को निभाएं रखा, उसके लिए भी धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देवनानी के नेतृत्व में सदन सबका साथ सबका विकास को मूर्त रूप देगा। विधानसभा की गौरवशाली परंपरा के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वासुदेव देवनानी के अध्यक्ष बनने से विधानसभा के गरिमामयी इतिहास को चार चांद लगेंगे।

सचिन पायलट ने कहा कि देवनानी अब दलगत राजनीति से ऊपर उठ गए हैं। हमेशा सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव करने की परंपरा रही है। इस बार जिस गर्म माहौल में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद जब स्पीकर के चुनाव की बात आई तो हम लोगों में से कुछ ने सोचा कि इस बार स्पीकर का चुनाव होगा। फिर जब वासुदेव देवनानी का नाम सामने आया तो हम सबने मन बनाया कि जब देवनानी बनेंगे तो चुनाव सर्वसम्मति से होगा क्योंकि आप सदन में एक्टिव सदस्य रहे, पक्ष-विपक्ष में रहते कई बार सदन में अपनी बात को रखा। यह बात सही है कि सदन की जो परिपाटी बनी हुई है, उसके हिसाब से आपका हर निर्णय न्यायपूर्ण होगा। पायलट ने देवनानी को संबोधित करते हुए कहा कि आप जब विपक्ष में थे तो बहुत जुझारू सदस्य थे, आप समझ सकते हैं किस जज्बे के साथ मैं बोल रहा हूं, तो आप उसका पूरा ध्यान रखेंगे।

गोविंद डोटासरा ने भी देवनानी को बधाई दी और कहा कि हम सबने मिलकर आपको स्पीकर चुना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष स्पीकर के कंट्रोल में रहता है। सत्ता पक्ष से भी ज्यादा स्पीकर हमेशा से विपक्ष के लिए लिबरल रहता है। आपका सबको साथ लेकर चलने वाला स्वभाव है। डोटासरा ने कहा कि आप पर कितना ही दबाव आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे किसी भवन से आए, आप निष्पक्ष रहेंगे यह विपक्ष आपसे उम्मीद रखता है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देवनानी को बधाई देते हुए कहा कि आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। हम लोग इस हाउस में एक साथ कई दिनों के लिए बैठे हैं। आपके जैसे ईमानदार और समर्पित जनप्रतिनिधि इस कुर्सी पर बैठा है। हमें विश्वास है कि आप निश्चित कार्रवाई करेंगे। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी वासुदेव देवनानी को बधाई दी।

चार घंटे चली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्णय नहीं हुआ कि जिन राज्यों में कांग्रेस हारी है, वहां के प्रभारी त्याग पत्र दें या कार्य करते रहें। वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा उनकी (प्रभारियों की) कोई जिम्मेदारी नहीं है।

सबसे आश्चर्यजनक वक्तव्य वेणुगोपाल से आया जब उन्होंने कहा विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बावजूद, जहां तक लोकसभा चुनावों का सवाल है, कोई चिन्ता की बात नहीं है, क्योंकि पार्टी का वोटबैंक सही -सलामत है।

संगठन में बहुत से पद खाली हैं क्योंकि यू.पी. महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और ऐसे ही कई अन्य राज्यों का काम संभालने वाला कोई नहीं है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी को शीघ्र इलेक्शन मोड में आना चाहिये। एक बड़ी रैली नागपुर में 28 दिसम्बर को आयोजित की जा रही है तथा सी.डब्ल्यु.सी. के अनुसार अन्य प्रमुख राज्यों में भी ऐसी रैली आयोजित की जायेगी।

अतः सी.डब्ल्यु.सी. का मानना है कि कांग्रेस में सब ठीक है और जैसा कि सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक के बाद वेणुगोपाल ने भी मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पार्टी अगले चुनाव के लिये पूरी तरह से तैयार है।

राजस्थान सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भजनलाल शर्मा की फोटो के साथ यह दस प्राथमिकताएं डाली गई हैं और इन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजस्थान के लिए गारंटी बताया गया है। उनमें सभी गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर थाने में महिला डेस्क होगी। एंटी रोमियो स्कॉड का गठन होगा। पेपर लीक सहित अन्य मामलों के लिए एसआईटी का गठन और पारदर्शी सरकार स्थापित करेंगे और भ्रष्टाचार-माफिया राज खत्म करने को भी प्राथमिकता बताया गया है। प्राथमिकताओं में आगे लिखा है कि कांग्रेस राज में जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई, उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए नीति बनाएंगे। 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्षेत्रीय विरासत केन्द्र स्थापित करेंगे। सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। पर्यटन क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपए के निवेश के साथ पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि को 12 हजार रुपए करेंगे। अगले पांच वर्षों में ढाई लाख सरकारी नौकरियां देंगे।

दूरसंचार विधेयक पर संसद की मुहर

लोकसभा ने इस विधेयक को कल पारित किया था, आज राज्यसभा में भी यह पारित हो गया

- नए कानून के तहत गलत कागज़ात देकर फर्जी सिम का उपयोग करने वालों को 3 वर्ष की सजा ओर 50 लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- संचार मंत्री ने कहा कि, 2 जी के समय बड़े- बड़े घोटाले होते थे। आज इस विधेयक के माध्यम से स्वच्छ और शुचिता भरी व्यवस्था की गयी है। अब सिर्फ नीलामी से ही स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा।

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर। राज्यसभा ने आज दूरसंचार विधेयक 2023 को विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनिमत से आज पारित कर दिया जिसमें टेलीकॉम क्षेत्र में न सिर्फ व्यापक पैमाने पर सुधार के प्रावधान किये गये बल्कि उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के सुरक्षा के साथ ही फर्जी कागजात पर सिम लेकर उससे धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसने की व्यवस्था की गयी है।

लोकसभा ने इस विधेयक को कल पारित किया था। इस तरह से आज इस पर संसद की मुहर लग गयी।

संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में इस विधेयक पर हुयी चर्चा का जबाव देते हुये कहा कि, उपनिवेश काल के कानूनों को समाप्त कर यह नया विधेयक बनाया गया है। पिछले साढे नौ वर्षों में यह क्षेत्र घोटालों से उबर कर उभरता हुआ क्षेत्र बन गया है। उन्होंने कहा कि, वर्ष 2014 में देश में 6.25 लाख टॉवर थे जो अभी बढ़ कर 25.5 लाख हो गये हैं। इसके साथ ही ब्रांडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या भी 1.5 करोड़ से बढ़ कर 85 करोड़ हो गयी है। 14 महीने से भी कम समय में देश में 5 जी के 4 लाख से अधिक टॉवर लगाये गये हैं।

उन्होंने कहा कि, गलत कागजात देकर फर्जी सिम का उपयोग करने वालों को 3 वर्ष की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। मोबाइल फोन को क्लोन करके अपराध करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके साथ शिकायत निवारण की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त टॉवर लगाने के लिए सुगम व्यवस्था की गयी है। इसमें कॉमन डक्ट बनाने की बात की गयी है जिसका सभी दूरसंचार सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

संचार मंत्री ने कहा कि, 2 जी के समय बड़े- बड़े घोटाले होते थे। आज इस विधेयक के माध्यम से स्वच्छ और शुचिता भरी व्यवस्था की गयी है। अब सिर्फ नीलामी से ही स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा। सिर्फ 19 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम आवंटन होगा। स्पेक्ट्रम एक ऐसा संसाधन है जो बाकी प्राकृतिक संसाधन से अलग है। यह एक ऐसा संसाधन है जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। यह आत्मा की तरह अजर और अमर है। इसके मद्देनजर स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए प्रावधान किये गये हैं। इसमें स्व स्वीकृत निवारण की व्यवस्था की गयी है।

उन्होंने कहा कि, आपात स्थिति में दूरसंचार नेटवर्क को सरकार के नियंत्रण में लेने की व्यवस्था वर्तमान में भी है और इस नये विधेयक में भी वहीं व्यवस्था की गयी है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी भारतीय टेलीकॉम उपकरण का उपयोग हो रहा है और आठ हजार करोड़ के उपकरण निर्यात किये गये हैं। इस क्षेत्र में 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इस नये विधेयक में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़े। इसके बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

पूंछ आतंकवादी हमले में सेना के तीन जवान शहीद

- सेना ने पूंछ में आतंकवादियों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के दौरान हुई इस घटना के तीन जवान घायल भी हो गए है।

जम्मू, 21 दिसंबर। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादी हमले में सेना के तीन जवान शहीद हो गये जबकि तीन और जवान घायल हैं।

जम्मू में सेना के प्रवक्ता ने बताया कि, सेना ने ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर कल रात आतंकवादियों के गुट के खिलाफ सेना और जम्मू पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया था।

आतंकवादियों से सेना का आज शाम को फिर से आमना सामना हुआ। उन्होंने कहा कि, करीब पौने चार बजे सेना के दो वाहन जब सैनिकों को लेकर अभियान स्थल की ओर जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि, सैनिकों ने आतंकवादी हमले पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की।

मंत्रिमण्डल के गठन में देरी मंत्रियों के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जयपुर में चार सीटों को अतिसुरक्षित आंकते हुए मु.मंत्री व अन्य वरिष्ठ नेताओं को जिताने के लिये, विद्याधर नगर की सीट पर दिया कुमारी को उतारा और भरतपुर के भजन लाल शर्मा को सांगानेर की सीट से टिकट दिया। भरतपुर के भजन लाल शर्मा को जयपुर के सांगानेर सीट से चुनाव लड़वाना, अपने आप में एक संकेत था, भजन लाल शर्मा को भारी जिम्मेवारी देने के बारे में। भजन लाल शर्मा को मु.मंत्री बनाने का निर्णय प्रारंभ से ही ले लिया गया था, पर सभी को लगा यह अनायास ही हुआ।

इसी पद्धति से मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर निर्णय ले लिया गया है दिल्ली में, पर नाम उजागर करने में अड़चन है। मु.सचिव, मु.मंत्री कार्यालय के सचिव, जे.डी.सी., वित्त सचिव के नाम फाइनल होने में ज्यादा समय लगना, वैसे ही इन वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका राज्य में सरकार चलाने में महत्वपूर्ण मानी जाती है। पर, इस बार इसकी अहमियत और ज्यादा इसलिये बढ़ गयी है, क्योंकि काफी नये युवा विधायक चुनकर आये हैं, और सरकार के तौर-तरीकों से ज्यादा परिचित नहीं है। इस परिस्थिति को समझते हुए ही, मोदी-शाह की केन्द्रीय सरकार ने जो मॉडल अपनाया है, राजस्थान के लिये, उसमें अधिकतर अहम् निर्णय दिल्ली में ही लिये जायेंगे, तथा जयपुर पर उन निर्णयों का ईमानदारी से क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी होगी।

दिल्ली, जयपुर को मूलतः भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने का काम सौंपना चाहती है, साथ ही राजस्थान को "क्राइम फ्री", बनाना चाहती है, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम चाहती है। दिल्ली का मानना है, जब वह जयपुर से नियमित रूप से धन भेजने की आशा ही नहीं रखती तो, साफ, सीधे प्रशासन की उम्मीद करना कोई बड़ी "महत्वकांक्षा" नहीं है।

ऐसे प्रशासन को सफल बनाने में अफसरों पर निर्भरता बहुत बढ़ जाती है। ऐसा "सतयुगी" प्रशासन देने का लक्ष्य दिल्ली ने इसलिये चुना है, क्योंकि इस बार भाजपा न आगामी लोकसभा चुनाव की सोच रही है और न ही अगले पांच साल बाद वाली सरकार की बल्कि अगले बीस साल राजस्थान में सत्ता में रहने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

आज के नेता, विधायक, अगले बीस साल तक सरकार में बने रहे, यह जरूरी नहीं, पर भजन लाल शर्मा सरकार द्वारा सरकारी अफसरों के शासन की जो नींव रखी जायेगी, वो परिपाटी व पद्धति जरूर बीस-पच्चीस साल चल सकती है, यह परिपाटी नयी इसलिये भी है कि, गत चार-पांच सरकारें वसुंधरा राजे व गहलोत के "आपसी सहयोग" व एक-दूसरे के हितों के रक्षा करते हुए चलती थीं, अगर, इस परिपाटी को बदलना है तो नया "मॉडल" नया "माइन्ड सैट" चाहिये ब्यूरोक्रेसी में। ऐसे अफसरों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं, इसलिये अफसरों के चयन में समय लग रहा है।

मु.मंत्री व मंत्रियों को बदलना भाजपा के लिये कोई कठिन काम नहीं है। अनुशासित कैडर है, अतः उदाहरण के लिये पांच साल में उत्तराखण्ड में तीन चार बार मु.मंत्री बदले गए, गुजरात में दो बार, पर कैडर ने उफ नहीं की, बल्कि थोड़ी वाह-वाही अवश्य मिली। पर, लगातार अफसरों को बदलना अस्थिरता का द्योतक माना जाता है, वैसे भी भजन लाल सरकार के पास तीस दिसम्बर तक समय है, क्योंकि इस माह के अंत में मु. सचिव उषा शर्मा रिटायर हो रही हैं, तब अफसरों की अदला-बदली की पुनः श्रृंखला मजबूरन बनानी ही पड़ेगी।

वर्ष 1980 में जब भरतपुर के ही अनुसूचित जाति के जगन्नाथ पहाड़िया के मु.मंत्री बनने के बाद, तत्कालीन सरकार के अफसरों ने यह फैलाना शुरू कर दिया था कि, पहाड़िया सरकार नहीं चल रही। तब राष्ट्रदूत के स्थापना दिवस, एक अगस्त को परम्परा अनुसार आयोजित की गई गोठ में, एक ही पंक्ति में मु.मंत्री पहाड़िया व मुन्ना गोयल आसपाल बैठे थे, पुराने सरकार के पुराने स्तम्भ, गोयल को सार्वजनिक रूप से संबोधित करते हुए, मु.मंत्री पहाड़िया ने कहा, क्यों गोयल सरकार नहीं चल रही? कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग करूं, वरिष्ठ अधिकारियों की (इशारा मुन्ना लाल गोयल की ओर था) तो अहसास होगा सरकार के चलने या न चलने का।"

क्या इसी आदत के लोग अभ्यस्त इस बार भी मंत्रिमण्डल के गठन व अफसरों की चयन में हो रहे विलम्ब को आसानी से पचा नहीं पा रहे।

भ्रष्टाचार के पुराने मामले में द्रमुक के उच्च शिक्षा मंत्री को तीन साल की जेल

मद्रास हाई कोर्ट ने मंत्री के. पोनमुदी पर 50 लाख रू. का जुर्माना भी लगाया

- लोकसभा चुनाव से पहले आए कोर्ट के फैसले से द्रमुक को झटका लगा है, भाजपा इस मामले को जोर-शोर से प्रचारित कर रही है।
- के. पोनमुदी पर आरोप है कि, करूणानिधि सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने आय से अधिक सम्पत्ति बनाई थी।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर। तमिलनाडु में सत्ताधारी दल द्रमुक (डी.एम.के.) को मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा उसके एक वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ दिए गए फैसले से बड़ा आघात लगा है। हाई कोर्ट का यह निर्णय लोकसभा के आम चुनाव से ठीक पहले आया है। हाई कोर्ट ने वरिष्ठ मंत्री के मामले में निचली अदालत की और से निर्दोष साबित किए गए निर्णय को पलटते हुए मंत्री को आय के ज्ञात स्त्रोत के अनुपात से अधिक संपत्ति सृजित करने का दोषी करार दिया है।

सजा के निर्णय को आगामी लोकसभा चुनावों में द्रमुक के खिलाफ उछाला जाएगा और खासतौर से भाजपा इसका फायदा उठाएगी और वह इस समय राज्य में ऐसी स्थिति के चलते उच्च स्तरीय जन सम्पर्क अभियान चला रही है। भाजपा का तमिलनाडु यूनिट के अध्यक्ष के. अन्नामलाई का यह अभियान लोगों का ध्यान खींच रहा है। परन्तु देखने वाली बात यह है कि आगामी चुनावों के दौरान प्रदेश में क्या भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि यहां शासक द्रमुक (डी.एम.के.) एवं विपक्ष अन्नाद्रमुक (ए.आई.डी.एम.के.) दोनों क्षेत्रीय पार्टियों पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं।

अब मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया गया है जिसमें तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुदी को आय के ज्ञात स्रोत से काफी मात्रा में अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के केस में बरी कर दिया गया था। अब भाजपा की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक को एक नई गति मिलेगी। उच्च न्यायालय ने पोनमुदी को इस अपराध में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया है। हालांकि, सजा के इस आदेश को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।

संयोग की बात यह है कि इस मंत्री के खिलाफ यह वाद पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के शासनकाल में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डी.ए.वी.सी.) ने दाखिल किया था और यह केस विल्लूपुरम की भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत में 2015 में चला था। मूलतः यह वाद प्रारम्भ में 2006 में दाखिल किया गया था जिसकी प्रारम्भिक सुनवाई विल्लूपुरम के मुख्य अपराध न्यायालय में की गई थी और बाद में इसे वर्ष 2015 में भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया था।

यह द्रमुक के पूर्व शासन काल का है, जब एम. करुणानिधि वर्ष 2006 से 2011 तक शासन में थे। उस दौरान इस मंत्री पर आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक मात्रा में सम्पत्ति सृजित करने का आरोप लगा था। मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी अन्नाद्रमुक (ए.आई.ए.डी.एम.के.) का जब शासन था उस दौरान पोनमुदी और उनकी पत्नी विसालक्षी पर मुकदमा चलाया गया था।

उनके खिलाफ दाखिल आरोप पत्र के अनुसार, पोनमुदी और उनकी पत्नी ने 1.36 करोड़ से भी अधिक सम्पत्ति एकत्रित कर ली थी वर्ष 2022 में द्रमुक के पुनः सत्ता में आने के बाद तक इस केस ने एक अलग ही रूप ले लिया जब इसे वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सैशन कोर्ट में स्थानान्तरित कर दिया गया, यहां की अदालत के पीठासीन अधिकारी ने मंत्री के पक्ष में फैसला दे दिया और उनकी पत्नी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ सबूत अपर्याप्त है।

मंत्री को दोषमुक्त करार देने के फैसले को (डी.ए.वी.सी.) सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय चुनौती नहीं दी, परन्तु 28 जून को मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश एन. आनन्द वैंकटेश ने ट्रायल कोर्ट के दोष मुक्त करने के आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय में कुछ महीनों तक मुकदमे की कार्यवाही चलने के बाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दोषी करार दिया और उनके केस में दिए गए फैसले में उन्हें तीन साल का कारावास और जुर्माने के बतौर उन पर 50 लाख रूपये लगाया गया।

संयोग की बात है कि तमिनाडु के मंत्री पोनमुदी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी ताकि उन्हें राहत पर विचार किया जाए और आय से अधिक मात्रा में सम्पत्ति मामले का संभावित समाधान निकल सके। परन्तु उनकी अपील याचिका खारिज कर दी गई।

संसद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की गई, जिन्हें बुधवार को लोकसभा में पारित किया गया था। बाद में तीनों विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा का भी सत्रावसान कर दिया गया।

लोकसभा में आज चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सम्बंधी बिलों को मंजूरी दी गई। ये राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। इसी बीच सुरक्षा चूक और 143 विपक्षी सांसदों के निलम्बन पर विपक्ष का हंगामा चौथे दिन भी जारी रहा।

विपक्षी नेताओं ने गुरुवार को भी गृहमंत्री से इस मुद्दे पर संसद में बयान देने की मांग की।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर. एन. आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908